

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कॉर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज शर्मा (R.A.S.)

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय कार्यकाल-2018

उनवान

बनाम

~~नारायणी कर्मा~~

राधेश्याम कर्मा

दावा बाबत :- 88-89 RTA  
मुकदमा नम्बर :- 01/2018  
निर्णय दिनांक :- 10-05-2018

वादी की ओर से नारायणी की व प्रतिवादी की ओर से राधेश्याम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-05-2018 को पंकज शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, राशमी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सरसी प. ह. सरसी की विवाहित आरजीधत सा.सं. 1301, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317 कुल विहा 12 कुल रकबा 35-16 बीघा का वीस ईलाहा श्यामहाल सत्यनारायण कर्म पिता भौकीबाल 1/8 राधेश्याम, खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



401  
(पंकज शर्मा)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी, राशमी विहार इलाहाबाद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

